R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड X ◆ अंक 2
अगस्त 2013

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

फेमा

नामित बैंकों/एजेंसियों/एंटिटीज़ द्वारा स्वर्ण का आयात

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से स्वर्ण के आयात पर 22 जुलाई 2013 के अपने अनुदेशों को निम्न प्रकार स्पष्ट/संशोधित किया है:

(ए) अब सिक्कों तथा बड़े पदकों के रूप में स्वर्ण के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(बी) सभी नामित बैंक/नामित एजेंसियां और अन्य एंटिटीज़ यह सुनिश्चित करेंगी कि स्वर्ण के आयात की प्रत्येक खेप (लॉट) का कम से कम 1/5 अर्थात् 20 प्रतिशत भाग केवल निर्यात के प्रयोजन के लिए तथा शेष भाग घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध हो। वर्तमान अनुदेशों में की गई व्यवस्था के अनुसार 20/80 योजना के परिचालन की निगरानी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा की जाएगी और उनका कार्यान्वयन केवल बन्दरगाह-वार किया जाएगा।

(सी) नामित बैंक/नामित एजेंसियां और अन्य एंटिटीज़ आभूषण कारोबार में संलग्न एंटिटीज़/बुलियन डीलरों और स्वर्ण जमा योजना को लागू करने के लिए प्राधिकृत बैंकों को पहले पूरा भुगतान करने की शर्त पर केवल घरेलू उपयोग हेतु स्वर्ण उपलब्ध कराएंगी। दूसरे शब्दों में, पहले पूरा भुगतान करने की शर्त से भिन्न रूप में घरेलू उपयोकर्ताओं को किसी भी रूप में स्वर्ण की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(डी) नामित बैंक/एजेंसियां/रिफाइनरियां/अन्य एंटिटीज़ यह सुनिश्चित करेंगी कि आयात, विशेषकर पहली और दूसरी खेप के आयात पर, कोई फ्रंट-लोडिंग न हो। इस तरह के आयात नामित बैंकों / एजेंसियों द्वारा निर्यातकों को की गई स्वर्ण आपूर्ति की सामान्य मात्रा से संबद्ध होंगे और पिछले तीन साल में से किसी भी एक वर्ष के दौरान आपूर्त उच्चतम मात्रा से अधिक नहीं होंगे। हालांकि, इस प्रकार आकलित मात्रा केवल एक या दो खेप में आयात नहीं की जाएगी। पक्के नियम के तौर पर, किसी खेप में निर्यातक की अधिकतम दो महीने की आयात आवश्यकताओं से बेशी मात्रा अनावश्यक समझी जाएगी। उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी निर्यातक को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी बैंक ने क्रमशः 30 टन, 40 टन और 60 टन सोने की आपूर्ति की है, तो इस परिपत्र में दी गई शर्त के तहत गत तीन वर्षों में अधिकतम अर्थात 60 टन पर आयात की मात्रा आधारित होगी। इसके अलावा, 50 टन (दो महीने के निर्यात के लिए 10 टन निर्यात हेतु और उसके 4 गुने राशि घरेलू उपयोग के लिए अर्थात कुल 50 टन) का आयात असामान्य समझा जाएगा। यदि नामित बैंक के पास निर्यातक को की गई पिछली स्वर्ण आपूर्ति का रिकार्ड न हो, तो 20/80 योजना के तहत स्वर्ण की पहली खेप के लिए आयात का आदेश देने से पहले उसे भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है।

(ई) अर्ध-शुद्ध स्वर्ण चांदी मिश्रित धातु (डोर) सहित किसी भी रूप में/शुद्धता में अब से स्वर्ण के आयात पर 20/80 का सिद्धांत भी लागू होगा, जिससे आयातित स्वर्ण का 20 प्रतिशत हिस्सा निर्यातकों को दिया जा सके। ऐसे आयात के समय प्रत्येक परेषण हेतु इसे लागू करने एवं निगरानी करने का कार्य रिफाइनरी के स्तर पर किया जाएगा। इसकी निगरानी सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा भी की जाएगी। रिफाइनरी आभूषण कारोबार में संलग्न एंटिटीज़/बुलियन डीलरों और स्वर्ण जमा योजना को लागू करने के लिए प्राधिकृत बैंकों को पहले पूरा भुगतान करने की शर्त पर केवल घरेलू उपयोग हेतु स्वर्ण उपलब्ध कराएगी और किसी अन्य रूप में भुगतान के तहत स्वर्ण की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी लाइसेंस पर ही स्वर्ण डोर के आयात की अनुमति है।

(एफ) कोई भी प्राधिकार जैसेकि अग्रिम प्राधिकार/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआइए) का उपयोग केवल निर्यात प्रयोजनों हेतु स्वर्ण के आयात के लिए किया जाएगा तथा घरेलू उपयोग के लिए बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विषय सूची

	पृष्ठ
फेमा	
नामित बैंकों/एजेंसियों/एंटिटीज़ द्वारा स्वर्ण का आयात	1
उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत सीमा घटाई गई	2
समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश	2
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में विदेशी निवेश	2
नीति	
एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण	3
एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें	3
एफसीएनआर(बी)/एनआरई जमाराशियां-सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने से छूट	3
भुगतान प्रणाली	
एटीएम लेनदेन	3
सीटीएस के अंतर्गत समान छुट्टी कैलेण्डर	4
पीडीसी/इएमआई चेक का इसीएस में परिवर्तन- डेबिट	4
ग्राहक सेवा	
फॉर्म 15-जी/15-एच की प्राप्ति की सूचना	4
प्रधानमंत्री ने भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास का चौथा खण्ड जारी किया	2
डॉ. रघुराम राजन भारतीय रिज़र्व बैंक के अगले गवर्नर के रूप में नियुक्त	3
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिशेष लाभ भारत सरकार को अंतरित किया	4

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में एंटिटीज़/ईकाइयों तथा निर्यातोन्मुखी ईकाइयों, प्रीमियर और स्टार ट्रेडिंग गृहों को केवल निर्यात के उद्देश्य से स्वर्ण का आयात करने के लिए अनुमति दी गयी है।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे पक्के-तौर पर यह सुनिश्चित करें कि उनके घटकों द्वारा/के लिए किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन इन अनुदेशों के अनुरूप हैं। नामित एजेंसियों के प्रधान कार्यालय/बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग अपने विभिन्न केंद्रों पर किए गए लेनदेनों सहित संशोधित योजना के परिचालन की निगरानी के लिए उत्तरदायी होंगे। निर्यात के प्रयोजन के लिए जारी स्वर्ण के संबंध में प्राथमिक व्यापारी श्रेणी I बैंक विद्यमान विनियमों के अनुसार निर्यात आय की वसूली की निगरानी हेतु एक विशेष व्यवस्था भी लागू करें तथा इस संबंध में कोई उल्लंघन/असामान्य गतिविधि की रिपोर्ट आगे से रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को की जाए।

उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत सीमा घटाई गई

14 अगस्त 2013 से उदारीकृत विप्रेषण योजना की मौजूदा सीमा के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष 2,00,000 अमरीकी डालर की वर्तमान सीमा को घटाकर 75,000 अमरीकी डालर प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) किया गया है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस योजना के अंतर्गत अनुमत चालू अथवा पूंजी खातेगत लेनदेनों अथवा दोनों के लिए संयुक्त रूप में प्रति वित्तीय वर्ष अब 75,000 अमरीकी डालर की सीमा तक के विप्रेषणों की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विप्रेषणों के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन/ स्पष्टीकरण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(i) भारत से बाहर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी अचल संपत्ति के अर्जन के लिए इस योजना का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसलिए, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अब से उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत भारत से बाहर अचल संपत्ति के अर्जन के लिए किसी भी विप्रेषण की अनुमति प्रदान न करें।

(ii) मार्जिन ट्रेडिंग, लाटरी आदि जैसी किसी प्रतिबंधित अथवा गैर-कानूनी गतिविधि के लिए इस योजना का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) निवासी व्यक्तियों को अब अपनी सद्भावी कारोबारी गतिविधियों के लिए 5 अगस्त 2013 से भारत से बाहर 75,000 अमरीकी डालर की सीमा में और 5 अगस्त 2013 की अधिसूचना सं.फेमा.263/ आरबी-2013 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत संयुक्त उद्यम (जेवी)/ संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (डब्ल्यूओएस) स्थापित करने की अनुमति दी गयी है।

इसके अलावा, निवासी व्यक्तियों द्वारा अपने अनिवासी नज़दीकी रिश्तेदारों को रुपए में उपहार देने और अनिवासी नज़दीकी रिश्तेदारों को रुपए में ऋण देने की सीमा संशोधित होकर प्रति वित्तीय वर्ष को 75,000 अमरीकी डालर की गई है।

समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश

समीक्षा के उपरांत अब यह निर्णय लिया गया है कि समुद्रपारीय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को नियंत्रित करने वाले विनियमों को निम्न प्रकार विवेकसम्मत बनाया जाए:

- किसी भारतीय पार्टी द्वारा विदेश स्थित सद्भावी कारोबारी गतिविधियों में संलग्न उसकी सभी जेवी और/अथवा डब्ल्यूओएस में, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, कुल समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को भारतीय पार्टी की निवल मालियत के 400% से घटाकर उसकी निवल मालियत के 100 प्रतिशत की गई।
- ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र की समुद्रपारीय अनिगमित कंपनियों में भारतीय कंपनी द्वारा अपनी निवल मालियत के मौजूदा 400% तक निवेश करने की सीमा को घटाकर भारतीय कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र की समुद्रपारीय अनिगमित कंपनियों में निवेश की सीमा, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, उसकी निवल मालियत के 100% की जाए। निवल मालियत के 100% से अधिक के समुद्रपारीय निवेश के लिए अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा समुद्रपारीय अनिगमित कंपनियों और तेल क्षेत्र (अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस आदि के लिए खोज और खुदाई) से संबंधित समुद्रपारीय अनिगमित कंपनियों में निवेश से संबंधित उपबंध, जो स्वचालित मार्ग के अंतर्गत बिना किसी सीमा के भारत सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित होते हैं, अब तक की भांति लागू बने रहेंगे ।

उपर्युक्त उपबंध सभी नए समुद्रपारीय निवेश प्रस्तावों पर लागू होंगे, किंतु मौजूदा विनियमों के अंतर्गत स्थापित वर्तमान जेवी/ डब्ल्यूओएस पर लागू नहीं होंगे।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में विदेशी निवेश

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि -

(i) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा इस शर्त के अधीन 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है कि कोई भी प्रायोजक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) के माध्यम से किसी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी में 50 से अधिक शेयरधारिता प्राप्त नहीं करेगा। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी में विदेशी निवेश प्रवेश मार्ग शर्त और क्षेत्रकीय सीमाओं से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुपालन में होना चाहिए।

(ii) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी में 74 प्रतिशत की विदेशी निवेश की सीमा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश की संयुक्त सीमा होगी। अतः आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी में संस्थागत निवेशकों द्वारा

प्रधानमंत्री ने भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास का चौथा खण्ड जारी किया

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 17 अगस्त 2013 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास का चौथा खण्ड जारी किया। रिज़र्व बैंक और एकेडेमिक फाउण्डेशन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित इस खण्ड में वर्ष 1981 से 1997 तक की 16 वर्ष की अवधि के स्मरणीय क्षण शामिल हैं। इस खण्ड के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अब वर्ष 1997 तक का अद्यतन इतिहास है। रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2009 में डॉ. बिमल जालान, रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता वाली एक परामर्शदात्री समिति के मार्गदर्शन में इस खण्ड को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

इस खण्ड में कार्यालयीन अभिलेख, प्रकाशनों तथा इस अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक के कार्यों से निकट से जुड़े व्यक्तियों के साथ चर्चा पर आधारित रिज़र्व बैंक के सांस्थिक इतिहास का दस्तावेज़ीकरण है। दो भागों, भाग ए और भाग बी में प्रकाशित चौथा खण्ड प्रतिबंधात्मक से प्रगतिशील उदारवादी भारतीय अर्थव्यवस्था के रूपांतरण को शामिल करता है तथा संरचनात्मक और वित्तीय क्षेत्र सुधार के कार्यान्वयन का वर्णन करता है। इस प्रकार यह छह गवर्ननरों - डॉ. आई.जी. पटेल के कार्यकाल से शुरू कर डॉ. मनमोहन सिंह, श्री ए.घोष, श्री आर.एन.मल्होत्रा, श्री एस. वेंकिटरमणन के कार्यकाल को शामिल करता है तथा डॉ. सी. रंगराजन के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है। रोचक रूप से यह वर्ष 1982 और वर्ष 1985 के बीच की दोनों अवधि शामिल करता है जब माननीय प्रधानमंत्री स्वयं रिज़र्व बैंक के गवर्नर थे तथा इसी के साथ वर्ष 1991 से वर्ष 1996 की अवधि भी शामिल करता है जब वे भारत के वित्तमंत्री थे।

निवेश पर प्रतिबंद हटा लिया गया है। अलग-अलग संस्थागत विदेशी निवेशकों की कुल शेयरधारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) प्रतिभूति रसीदों में विदेशी संस्थागत निवेश की सीमा को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों की योजना के प्रत्येक हिस्से के प्रदत्त मूल्य के 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के प्रत्येक हिस्से में एकल विदेशी संस्थागत निवेशक के निवेश के लिए 10 प्रतिशत की अलग-अलग व्यक्तियों की सीमा हटा दी गई है। कंपनी बांडों पर ऐसा निवेश समय-समय पर निर्धारित एफआईआई सीमा के अंदर होना चाहिए और वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विनियमों के तहत क्षेत्रकीय सीमा का अनुपालन किया जाना चाहिए।

नीति

एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण

रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि बैंक तीन वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि की एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये अनुदेश समीक्षाधीन 30 नवंबर 2013 तक वैध रहेंगे।

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें

बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि 14 अगस्त 2013 को भारत में कारोबार की समाप्ति से अगली सूचना तक विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] जमाराशियों पर ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी :

परिपक्वता अवधि	वर्तमान	संशोधित
1 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक	लाइबोर/स्वैप से 200 आधार अंक अधिक	कोई परिवर्तन नहीं
3 - 5 वर्ष तक	लाइबोर/स्वैप से 300 आधार अंक अधिक	लाइबोर/स्वैप से 400 आधार अंक अधिक

अस्थिर दर की जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान संबंधित मुद्रा/परिपक्वता अवधि की स्वैप दरों की उच्चतम सीमा से 200 आधार अंक/400 आधार अंक से अधिक दर पर जो भी लागू हो, किया जाएगा। अस्थिर दर की जमाराशियों के लिए, ब्याज पुनर्निर्धारण की अवधि छः माह होगी।

ये अनुदेश समीक्षाधीन 30 नवंबर 2013 तक वैध रहेंगे।

एफसीएनआर(बी)/एनआरई जमाराशियां - सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने से छूट

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि 24 अगस्त 2013 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 26 जुलाई 2013 की मूल तिथि के बाद जुटाई गई 3 वर्ष तथा उसके अधिक परिपक्वता अवधि वाली वृद्धिशील एफसीएनआर(बी) जमाराशियों तथा एनआरई जमाराशियों को सीआरआर तथा एसएलआर बनाए रखने से छूट प्राप्त होगी । विस्तार से कहें तो मान लीजिए कि मूल तिथि को किसी बैंक की कुल एफसीएनआर(बी) जमाराशि 100 अमेरीकी डालर (यूएसडी) थी और मान लीजिए वह बैंक 20 यूएसडी की वृद्धिशील जमाराशि जुटा लेता है तो 20 यूएसडी का वह हिस्सा जिसकी परिपक्वता अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक है, एनडीटीएल का हिस्सा नहीं होगा तथा सीआरआर एवं एसएलआर से छूट प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। यही सिद्धांत सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाओं से छूट पाने के लिए एनआरई जमाराशियों की गणना करते समय भी लागू होगा। तथापि, अनिवासी (साधारण) (एनआरओ) खातों से एनआरई खातों में किया जाने वाला कोई अंतरण इस प्रकार की छूटों के लिए पात्र नहीं होगा।

इसके अलावा वृद्धिशील एफसीएनआर(बी)/एनआरई जमाराशियों पर भारत में प्रदत्त अग्रिमों को भी, जो उक्त के अनुसार सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाओं से छूट के लिए पात्र हैं, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण के लक्ष्यों की गणना के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण में शामिल नहीं किया जाएगा।

पूर्व में बैंकों से अपेक्षित था कि वे सीआरआर तथा एसएलआर बनाए रखने और निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की गणना के लिए सभी विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [एफसीएनआर(बी)] और अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमा देयताओं को शामिल करें।

भुगतान प्रणाली

एटीएम लेनदेन

एटीएम के संचालन में दक्षता बढ़ाने के माध्यम से ग्राहक सेवा में और सुधार लाने के उद्देश्य से बैंकों को निम्नलिखित कार्रवाई करने हेतु सूचित किया गया है:

- ग्राहक द्वारा लेन-देन की शुरुआत करने से पूर्व ही एटीएम में नकदी की अनुपलब्धता के बारे में संदेश प्रदर्शित किया जाना चाहिए। बैंक इस प्रकार की सूचनाओं को या तो स्क्रीन के माध्यम से अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
- एटीएम परिसर में एटीएम आईडी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि ग्राहक शिकायत/सुझाव देते समय उसका उल्लेख कर सके।
- एटीएम शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रपत्र एटीएम परिसर के अंदर ही उपलब्ध कराएं और उन अधिकारियों के नाम एवं फोन नंबर प्रदर्शित किए जाएं जिनके पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- शिकायतें/रिपोर्ट दर्ज कराने और गुम हो गए कार्डों की सूचना प्रदान करने में होने वाले विलंब को रोकने के लिए और ऐसी सूचनाओं को प्राथमिकता देने के लिए बैंकों को पर्याप्त मात्रा में टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराने चाहिए। स्थानीय हेल्पलाइन नंबर (शहर-वार/केन्द्र-वार) भी बढ़ाए जाने चाहिए और उन्हें प्रमुखता से एटीएम परिसर/बैंकों की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- पूर्व सक्रियता के साथ बैंकों को अपने ग्राहकों के मोबाइल नंबर / ई - मेल आईडी रजिस्टर करने चाहिए ताकि उन्हें चेतावनियाँ भेजी जा सकें और उन्हें यदि कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना देने के लिए शिक्षित किया जा सके। सभी मौजूदा खातों के संबंध में मोबाइल नंबर और या ई - मेल आईडी को अद्यतन करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। इन विवरणों को केवाईसी विवरण के साथ समय समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

एटीएम पर आहरण संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बकाया राशि जानने संबंधी लेनदेन सहित प्रत्येक लेनदेन के लिए पिन नंबर की प्रविष्टि को अनिवार्य बना दिया है। बैंकों ने पहले से ही एटीएम पर लेनदेन पूरा करने के लिए समय सीमा बांध रखी है। तथापि, एक अतिरिक्त

डॉ. रघुराम राजन भारतीय रिज़र्व बैंक के अगले गवर्नर के रूप में नियुक्त

डॉ. रघुराम राजन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय को डॉ. डी. सुब्बाराव के कार्यकाल के समापन पर तीन वर्षों की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अगले गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है।

डॉ. रघुराम राजन को 5 सितंबर 2013 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर का पदभार ग्रहण करने से पहले तीन सप्ताह की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विशेष कार्य अधिकारी के पद पर भी नियुक्त किया गया है जिससे कि वे वर्तमान गवर्नर के साथ-साथ कार्य कर सकें।

प्रत्येक माह की 26 तारीख को प्रकाशित, प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में मुंबई पत्रिका चैनल, सॉर्टिंग ऑफिस-में प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

सुरक्षा उपाय के रूप में, सामान्य स्थिति में इस तरह के कार्यों के लिए लगने वाले समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एटीएम लेन-देन के सभी स्क्रीन/चरणों के लिए टाइम आउट सेशन भी आरंभ किया जाना चाहिए। बैंक इस बात को सुनिश्चित करें कि लेनदेन के किसी भी चरण के लिए उचित समय सीमा के बाहर समय विस्तार की अनुमति प्रदान न की जाए।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा ग्राहकों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने के लिए बैंक भारतीय बैंक संघ के साथ मिलकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में नियमित अंतराल पर विज्ञापन अभियान चला सकते हैं।

सीटीएस के अंतर्गत समान छुट्टी कैलेण्डर

चेन्नै और मुंबई में ग्रिड-आधारित चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) शुरूकी गई है जिसमें एक समाशोधन प्रणाली में प्रक्रियाओं में सरलीकरण के उद्देश्य से कई राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उपर्युक्त ग्रिड के द्वारा शामिल किए गए सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र संबंधित सरकारों द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत घोषित छुट्टियों के भिन्न-भिन्न कार्यक्रम का पालन करते हैं। चूंकि स्थानीय समाशोधन ग्रिड धीरे-धीरे सीटीएस में शामिल किए जा रहे हैं, यह निर्णय लिया गया है कि 7 अक्टूबर 2013 से तीन सीटीएस स्थानों पर समान छुट्टी व्यवस्था लागू की जाए।

ग्रिड-आधारित सीटीएस समाशोधन के अंतर्गत ग्रिड के अधिकार क्षेत्र में आने वाली बैंक शाखाओं पर आहरित किए जाने वाले सभी चेकों पर कार्रवाई की जाएगी तथा उन्हें स्थानीय चेकों के रूप में टी+1 आधार पर समाशोधित किया जाएगा। अतः समान छुट्टी व्यवस्था संबंधित राज्यों में छुट्टियों में भी चेकों की तेज़ वसूली के माध्यम से बैंकों में ग्राहक सेवा को और बढ़ाएगी। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि -

- नई दिल्ली, चेन्नै और मुंबई में सीटीएस केन्द्र संबंधित ग्रिड के लिए समान छुट्टियों के रूप में आरटीजीएस छुट्टियों को स्वीकार करेंगे
- इसके अतिरिक्त सीटीएस परिचालन उन दिनों में बंद रहेंगे जब ग्रिड में सहभागिता करने वाले राज्य छुट्टियों का पालन कर रहे हों यद्यपि ऐसे दिनों में आरटीजीएस कार्य कर रहा हो।
- संबंधित सीटीएस स्थान के अध्यक्ष अग्रिम रूप में ऐसी समान छुट्टियों की सूची अधिसूचित करेंगे ताकि सहभागिता करने वाले बैंक ग्रिड स्थान पर आवक समाशोधन संसाधन मूलभूत सुविधा लागू कर सकें।

सीटीएस के अंतर्गत आवक समाशोधन सामान्यतः सीटीएस स्थान पर बैंकों द्वारा केंद्रीकृत तरीके से संसाधित किए जाते हैं। अपवादात्मक मामलों में जहां आधार शाखा का उल्लेख अपेक्षित है तथा आधार शाखा स्थानीय छुट्टी के कारण बंद हैं, ग्रिड- स्थान पर अदाकर्ता बैंक ''अदाकर्ता शाखा के संदर्भ की जरूरत है जो स्थानीय छुट्टी/मामलों के कारण बंद है'' के विवरण के साथ बैंकर्स समाशोधन गृह समान विनियमावली और नियमावली के अनुलग्नक में यथावर्णित वापसी कारण कोड 88 के अंतर्गत प्रस्तुतकर्ता बैंक को लिखत वापस कर सकते हैं।

उन अवसरों पर जब बैंक अपवादात्मक परिस्थितियों के कारण विशिष्ट स्थानों से संबंधित आवक समाशोधन संसाधित करने में असमर्थ हैं, बैंक ऐसे स्थानों पर आहरित प्रस्तुतीकरण की वापसी/रोके जाने के विस्तार हेतु सीटीएस स्थानों पर समाशोधन गृह के अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं।

पीडीसी/ईएमआई चेक का ईसीएस में परिवर्तन- डेबिट

पूर्व के अनुदेशों को दुहराते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि -

- ऐसे स्थानों में जहां ईसीएस/आरईसीएस (डेबिट) की सुविधा उपलब्ध है वहाँ कोई भी नए/अतिरिक्त बाद की तारीख वाले चेक (पीडीसी)/समानीकृत मासिक किस्त (ईएमआई) चेक (या तो पुराने स्वरूप या नए सीटीएस -2010 प्रारूप में) स्वीकार न किए जाएं। ऐसे स्थानों में मौजूदा पीडीसी/ईएमआई चेकों को नया अधिदेश प्राप्त कर मौजूदा चेकों को ईसीएस/आरईसीएस (डेबिट) में परिवर्तित किया जा सकता है।
- चूंकि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 आदाता (लाभार्थी) को निधियों की अपर्याप्तता के तहत इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण निर्देशों को अस्वीकार किए जाने के संबंध में उसी प्रकार के अधिकार और निदान प्रदान करती है जो कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत उपलब्ध हैं, बैंकों को ग्राहकों से ईसीएस (डेबिट) अधिदेश के अलावा अतिरिक्त चेक, यदि कोई हों, स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- जिन स्थानों में ईसीएस/आरईसीएस की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ केवल सीटीएस -2010 मानक प्रारूप का पालन करने वाले चेक ही स्वीकार किए जाएंगे।

ग्राहक सेवा

फॉर्म 15-जी/15-एच की प्राप्ति की सूचना

बैंकों से अपेक्षित है कि वे उन जमाकर्ताओं से स्रोत पर आयकर की कटौती (टीडीएस) को वसूल करें जो आयकर नियमावली, 1962 के अंतर्गत फॉर्म 15-जी/15-एच में घोषणा करते हैं। तथापि, रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह लाया गया है कि ग्राहकों द्वारा फॉर्म 15-जी/15-एच प्रस्तुत किए जाने के बावजूद बैंक स्रोत पर आयकर की वसूली कर रहे हैं। इससे ग्राहकों को असुविधा हो रही है तथा इसके कारण कई शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। ऐसी घटनाएं या तो कहीं खो जाने के स्वरूप में अथवा शाखाओं में प्राप्त फॉर्मों को नहीं रखे जाने के रूप में उत्पन्न हो रही हैं।

भारतीय बैंक संघ के परामर्श से रिज़र्व बैंक ने इस मामले की जांच की है। ग्राहकों के हितों की रक्षा करने तथा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे फॉर्म 15-जी/15-एच की प्राप्ति की जानकारी दें। इससे दायित्व के निर्माण में सहायता मिलेगी तथा बैंकों की ओर से किसी चूक के कारण ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिशेष लाभ भारत सरकार को अंतरित किया

रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने आज अपनी बैठक में 30 जून 2013 को समाप्त वर्ष के लिए 330.10 बिलियन रुपए की राशि का अधिशेष लाभ भारत सरकार को अंतरित करने का अनुमोदन दिया। 30 जून 2012 को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष लाभ की राशि 160.10 बिलियन रुपए थी।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।